न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2020/00159
मुकदमा नम्बर 67/2020

दायर दिनांक : 15–06–2020

मंजू पुत्री सांवरमल जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
– वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2. मूंगाराम पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
3. मनोहर पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
4. महेन्द्र पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
5. रामावतार पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
6. वियज कुमार पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
7. श्रवणी देवी पत्नी सांवरमल जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रति. :– श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया

दावा : बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
:: निर्णय ::

दिनांक– 17–02–2021

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम वाके ग्राम झाझड़ियों की ढ़ाणी पटवार हल्का बिरोल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में आराजी नये खसर नम्बर 974 रकबा 0.42 हैक्टर स्थित है। उक्त वादी आराजी में वादिया का हिस्सा 1/45 दर्ज है। वा में वादिया व प्रतिवादीगण के हक हिस्से बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज आराजी वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पिता स्व. सांवरमल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी। स्वर्गीय सांवरमल को स्वर्गवास हुआ उस वक्त उनके जीवित उतराधिकारी वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 है, जिसके नाम से राजस्व अभिलेख दर्ज हुआ परन्तु वादिया का नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक वादिया के सही नाम का सत्यापन किये बिना ही वादिया का नाम राजस्व अभिलेख में मनफूल पुत्री सांवरमल गलत दर्ज कर दिया जबकि वादिया का सही व वास्तवित नाम मंजू पुत्री सांवरमल है। जो वादिया के पहचान सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात में दर्ज है।

स्वर्गीय सांवरमल के मनफूली नाम के कोई पुत्री नही थी। मनफूली व मंजू दोनो नामों की एक ही महिला है। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक नाम का सत्यापन किये बिना ही मनफूली गलत दर्ज किया है। इसलिए मनफूली पुत्र सांवरमल के स्थान पर वादिया मंजू पुत्री सांवरमल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उक्त वाद पेश कर आवश्यक हुआ है। वादिया एक अनपढ़ ग्रामिण परिवेश की महिला है जिसके राजस्व रिकार्ड के जानकारी नही थी। स्व.सांवरमल के फौत होने

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

पर जब उक्त आराजी को विरासतन नामान्तकरण भरा गया तब वादिया को नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक बिना नाम का सत्यापन किये ही मनफूली पुत्री सांवरमल गलत दर्ज कर दिया। वादिया का सही नाम मंजू पुत्री सांवरमल है। इसलिए मनफूली पत्री सांवरमल के स्थान पर वादिया मंजू पुत्री सांवरमल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त वाद के लिए वाद हेतुक वादियों द्वारा राजस्व अभिलेख की नकल लेने पर राजस्व अभिलेख में वादिया का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ है। वाद पत्र मे वर्णित आराजी अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित है वाद का अनुतोष घोषणा व दुरूस्त रिकॉर्ड होने से उक्त वाद सुनने का पूर्ण क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

वादिया द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम झाझड़ियों की ढाणी पटवार हल्का बिरोल तहसील नवलगढ़ में स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 974 रकबा 0.42 हैक्टर में मनफूली पुत्री सांवरमल के स्थान पर वादिया मंजू पुत्री सांवरमल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश फमरमाये। निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 की ओर उपस्थित हो, अपना वकालत नामा पेश किया। वकील प्रतिवादीगण नम्बर 4 व 05 की ओर इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 03, 6 व 7 की ओर कोई जवाब नही देना जाहिर किया गया। जवाब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 03, 6 व 7 का जवाब दावा बंद किया गया है। साक्ष्य वादी में वादिया मंजू देवी पुत्री सांवरमल जाति जाट निवासी झाझडियों की ढाणी का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया। वादिया द्वार शपथ पत्र में वर्णित किया कि ग्राम झाझाडियो की ढाणी की सरहद में खसरा नम्बर 974 रकबा 0.42 हैक्टर में वादिया का हिस्सा 1/45 दर्ज रिकार्ड है तथा वादिया के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व अभिलेख में गलत नाम मनफूल पुत्री सांवरमल दर्ज कर दिया गया जो गलत है तथा वादिया के समस्त दस्तावेजात में वादिया का नाम मंजू पुत्री सांवर मल के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ग्राम झाझडियों की ढाणी की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 पेश किया था। नाम के सम्बन्ध में दस्तावेजात के रूप में आधारा कार्ड, बैंक खाता पासबुक आदि पेश किया गया जिसमें वादिया का नाम मंजू देवी पुत्री सांवरमल जाति जाट निवासी झाझड़ियो की ढाणी दर्ज होना साबित है। स्वर्गीय सांवरमल के मनफूली नाम के कोई पुत्री नही थी। मनफूली व मंजू दोनो नामों की एक ही महिला है। स्व.सांवरमल के फौत होने पर जब उक्त आराजी को विरासतन नामान्तकरण भरा गया तब वादिया का नाम मनफूली पुत्री सांवरमल गलत दर्ज कर दिया। वादिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह साबित है कि विरासत के नामान्तरण में वादिया का नाम गलत दर्ज किया गया है तथा मनफूली व मंजू देवी दोनो एक ही महिला के नाम है जो स्व. सांवरमल की जायन्दा पुत्रिया है। इसलिए मनफूली पुत्र सांवरमल के स्थान पर वादिया मंजू पुत्री सांवरमल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में नाम गलत अंकन होने से काफी पेरशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकार है। अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। वाद वादिया स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझडियों की ढ़ाणी की सरहद में स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 974 रकबा 0.42 हैक्टर में मनफूली पुत्री सांवरमल के स्थान पर वादिया मंजू पुत्री सांवरमल को

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त नुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनूप सिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
श्री अनूप सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

दावा बाबत विभाजन

मुकदमा सं0:– 67 / 2020 (मंजू बनाम कैलाश आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू अनूप सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 17.02.2021 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम झाझडियों की ढाणी की सरहद में स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 974 रकबा 0.42 हैक्टर में मनफूली पुत्री सांवरमल के स्थान पर वादिया मंजू पुत्री सांवरमल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

जन..........–.............. मुबलिग.........–..........बाबत.....–.......खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.........फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख, 17 माह 02 सन 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	4.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner